मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-12-38/91/3/1 भोपाल, दिनांक 7 जून 1991

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों का निलंबन आरोप-पत्र का जारी किया जाना.

संदर्भ.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6-5/81/1/3, दिनांक 26 फरवरी 1982.

इस विभाग की संदर्भित अधिसूचना द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (2) (क) के संबंध में संशोधन प्रसारित कर सभी विभागों को निर्देश दिये गए थे कि किसी शासकीय सेवक को निलंबित करते समय, निलंबन का आधार बताया जाना आवश्यक है.

2. इसके अतिरिक्त निर्देश ये भी थे कि निलंबन के बाद उस शासकीय सेवक को आनुशासनिक अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निर्धारित 45 दिन के अंदर आरोप पत्रादि जारी करना आवश्यक है. यदि इस अवधि में आरोप पत्र आदि उक्त शासकीय सेवक को जारी नहीं किए जाते हैं, तो उसका निलंबन स्वयं ही निरस्त हो जाता है. इसी प्रकार यदि आनुशासनिक अधिकारी राज्य शासन हो और आरोप पत्र निर्धारित अवधि 90 दिन के अंदर जारी नहीं किए जा सके हैं, तो शासन की अनुमति से समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है. यदि उक्त बढ़ाई गई समय-सीमा के अंदर भी आरोप पत्र जारी नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित शासकीय सेवक का निलंबन आदेश स्वयं ही निरस्त हो जाता है.

3. उल्लेखित कारण से निलंबन से बहाली के उपरान्त अगर अपचारी को पुनः निलंबित करना आवश्यक हो तो स्पष्ट किया जाता है कि यह कार्यवाही आरोप पत्र जारी करते समय पुनः निलंबन का आदेश, कारण बताते हुए की जानी चाहिए, क्योंकि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (2) (क) के अन्तर्गत यह एक विधिक आवश्यकता है.

4. शासन के ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि कतिपय प्रकरणों में ऐसे अधिकारियों द्वारा शासकीय सेवकों को निलंबित कर दिया जाता है जो संबंधित अपचारी के नियुक्ति अधिकारी नहीं होने के कारण, निलंबन करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं. इस प्रकार के प्रकरणों को न्यायालय/राज्य प्रशासनिक अधिकरण में याचिका प्रस्तुत किये जाने पर, निलंबन आदेश का प्रतिरक्षण किया जाना कठिन होता है एवं शासकीय सेवक इसी तकनीकी आधार पर निलंबन से बहाल हो जाते हैं.

5. अतः. उपरोक्त कण्डिकाओं में वर्णित की गई स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि .—

(1) प्रथम बार अथवा पुनः निलंबन करते समय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (2) (क) के प्रावधानानुसार निलंबन का कारण अपचारी को आवश्यक रूप से दर्शाया जाए.

(2) अपचारी को निलंबित करने के आदेश केवल सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किए जाएं.

हस्ता/-
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी 12-38/91/3/1 भोपाल, दिनांक 7 जून 1991

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, म. प्र. भोपाल.

---

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल

---

3. मुख्य मंत्री जी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक.

---

4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखा अधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.

7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर.

8. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.